POINT 7 10-05

प्रारुप–15.2

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है।)

परियोजना का नाम :– जनपद–देहरादून के विकासखण्ड चकराता में एकीकृत विद्युत विकास योजना के अन्तर्गत 33 के0वी0 विद्युत लाइन का निर्माण कार्य।

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे0)
सिविल एवं सोयम	देहरादून	चकराता	चकराता	18000	2	3.6
वन पंचायत	देहरादून	चकराता	चकराता	–	–	–
योग वन भूमि	देहरादून	चकराता	चकराता	18000	2	3.6
नाप भूमि	देहरादून	चकराता	चकराता	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग				18000	2	3.6

अधिशासी अभियन्ता
(आर0ए0पी0डी0आर0पी0)
भाग-(जी0ए0पी0डी0आर0पी0)
विद्युत परियोजना खण्ड (डी0एस0)
उपाकलि, देहरादून।
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत परियोजना खण्ड
उपाकलि, देहरादून

तहसीलदार
कालसी

ह0
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
देहरादून

उप जिलाधिकारी
कालसी

Scanned with OKEN Scanner

प्रारुप–16

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण।

परियोजना का नाम :– जनपद–देहरादून के विकासखण्ड चकराता में एकीकृत विद्युत विकास योजना के अन्तर्गत 33 के0वी0 विद्युत लाइन का निर्माण कार्य।

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (है0 में)
1	आरक्षित वन भूमि	18000	2	3.6
2	सिविल सोयम भूमि	18000	2	3.6
3	वन पंचायत भूमि	–	–	–
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	–	–	–
	वन भूमि का योग	36000	2	7.2
5	नाप भूमि	–	–	–
	कुल योग–	36000	2	7.2

ह0/– [signature]
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
(आर0ए0पी0डी0आर0पी0
भाग–बी0/आई0पी0डी0एस0)
विद्युत परियोजना खण्ड
उपाकालि, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

STAGE-01

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/04/46/2019/एफ0सी0/876 दिनांक: 24/07/2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – देहरादून के अंतर्गत विकासखण्ड चकराता में (ढकरानी से चकराता तक) 33 के0वी0 विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 7.20 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पारेषण लाईन निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 265/x-4-19/2(13)/2019 दिनांक 25.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/TRANS/36388/2018 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज मंगवाये जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 20, जून 2019 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार – **जनपद – देहरादून के अंतर्गत विकासखण्ड चकराता में (ढकरानी से चकराता तक) 33 के0वी0 विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 7.20 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पारेषण लाईन निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 14.40 है0 कालसी कम्पार्टमेन्ट नं0 15 एवं 18 पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**

5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनीहोगी।

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 14.40 है0 कालसी कम्पार्टमेन्ट नं0 15 एवं 18 को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 21 से अधिक न हो।
9. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

Scanned with OKEN Scanner

S1A5E-02

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON))
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/04/46/2019/एफ.सी./1938 दिनांक:06/12/2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद–देहरादून के अंतर्गत विकासखण्ड चकराता में (ढकरानी से चकराता तक) 33 के0वी0 विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 7.20 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 को दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1333/FP/UK/TRANS/36388/2018 दिनांक 19.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 25.03.2019 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–24.07.2019 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार **जनपद–देहरादून के अंतर्गत विकासखण्ड चकराता में (ढकरानी से चकराता तक) 33 के0वी0 विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 7.20 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0** को दिये जाने हेतु विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 14.40 है0 कालसी कम्पार्टमेन्ट नं0 15 एवं 18 एवं ट्रांसमिशन लाइन के नीचे बौने पौधे (मुख्यत: औषधीय पौधे) पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
4. Below each conductor or conductor bundle, 3m width clearance would be permitted for stringing purpose within the approved RoW.
5. The trees on such strips would have to be felled but after stringing work is completed, natural regeneration will be allowed to come up. Felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer, wherever necessary, to maintain the electrical clearance. One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line.
6. During construction of transmission line, pollarding/pruning of trees located outside the above width of the strips, whose branches/parts infringe with conductor stringing, shall be permitted to the extent necessary, as may be decided by local Forest Officer.

Scanned with OKEN Scanner

7. Pruning of trees for taking construction/stringing equipments through existing approach/access routes in forest areas shall also be permitted to the extent necessary, as may be decided by local forest officer. Construction of new approach/access route will however, require prior approval under the Act.
8. In the remaining width of right of way trees will be felled or lopped within the RoW to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining minimum 2.8 m clearance between conductor and trees. The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out this minimum clearance
9. In the case of transmission lines to be constructed in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees will not be cut except those minimum required to be cut for stringing of conductors.
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
12. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
13. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
14. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 21 से अधिक न हो।
15. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर.सी.सी स्तंभ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर भी अंकित किया जाएगा।
16. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
17. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
18. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

Scanned with OKEN Scanner

PROPOSAL No.- FP/UK/TRANS/21116/2016

2.6

प्रपत्र-15

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर में 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन का निर्माण कार्य

लैंड शेड्यूल

(आरक्षित वन भूमि)

जिला	वनप्रभाग का नाम	वन राजी का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	क्षेत्रफल हे0
बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	उप्रबडेली ब्लाक बागेश्वर कम्पा.1,2	600	03	0.18

Executive Engineer
Electy. Secondary Works Division
U.P.C.L. Haldwani (Nainital)

वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी

2.6

प्रपत्र-15.1

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर में 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन का निर्माण कार्य

लैंड शेड्यूल

(सिविल सोयम वन भूमि)

जिला	वनप्रभाग का नाम	वन राजी का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	क्षेत्रफल हे०
बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	—	400	03	0.12

ह०
प्रयोक्ता एजेंसी
अधिशासी अभियन्ता
[illegible]
[illegible]
हल्द्वानी (नैनीताल)

उप क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
[illegible]

ह०
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible]
बागेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर.

2.6

प्रपत्र-15.2

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर में 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन का निर्माण कार्य

लैंड शेड्यूल

(वन पंचायत भूमि)

जिला	वनप्रभाग का नाम	वन राजी का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	क्षेत्रफल
बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	महापतबाडा	1300	03	0.39
बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	ओर	700	03	0.21
				2000 मी0	TOTAL	0.60

ह0
प्रयोक्ता अभिकरण अधिशासी अभियन्ता
विद्युत द्वितीय कार्य खण्ड
उत्तराखण्ड पावर का०-पोरेशन लि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

जिलाधिकारी
बागेश्वर

ह0
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

वन पंचायत सरपंच

तहसीलदार
बागेश्वर

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नाम :- (जनपद बागेश्वर के 33/11 KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11 KV सबस्टेशन कपकोट तक 33 KV लाइन का निर्माण कार्य।

लैण्ड शेड्यूल प्रमाण-पत्र

जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	रेंज का नाम	आरक्षित वन भूमि का नाम	नपत लम्बाई x चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्ग मी०	क्षेत्रफल हैक्टेयर
1	2	3	4	5	6	7
बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	आरक्षित उत्तरी खरकाडॉली कं-1	600x3	1800	0.18
बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	सिविल वन भूमि जौगीपाणी रौ	400x3	1200	0.12
बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	वनपचायत कठायत बाड़ा, और	2000x3	6000	0.60
योग						0.90

हस्ताक्षर
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

Executive Engineer
Electy. Secondary Works Division
U. P. C. L. Haldwani (Nainital)

वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

तहसीलदार
बागेश्वर

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

STAGE- 01

संख्याः 802 /X–4–17/2(27)/2017

प्रेषक,

अरविंन्द सिंह हयांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः 12 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2017

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4

विषयः जनपद बागेश्वर में 33/11 के0वी0 सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11 के0वी0 सबस्टेशन कपकोट तक 33 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.9 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु यूजेवीएन लिमिटेड, को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1546/FP/UK/TRANS/21116/2016, दिनांक 08.11.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद बागेश्वर में 33/11 के0वी0 सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11 के0वी0 सबस्टेशन कपकोट तक 33 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.9 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु यूजेवीएन लिमिटेड, को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या–एफ0न0–11–09/98–एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्राविधान के दृष्टिगत् अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास

Scanned with OKEN Scanner

वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
प्रभारी सचिव।

संख्याः 802 (1)/X-4-17/2(27)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, विद्युत द्वितीय कार्य खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड़, हल्द्वानी।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner